राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–22/2017/जयपुर
(अपील संख्या 205/2010/जयपुर
2.रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–23/2017/जयपुर
(अपील संख्या 206/2010/जयपुर
3.रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–24/2017/जयपुर
(अपील संख्या 207/2010/जयपुर
4.रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–25/2017/जयपुर
(अपील संख्या 208/2010/जयपुर
5.रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–26/2017/जयपुर
(अपील संख्या 209/2010/जयपुर
6.रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–27/2017/जयपुर
(अपील संख्या 210/2010/जयपुर
7.रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–29/2017/जयपुर
(अपील संख्या 573/2011/जयपुर

मै. त्रिलोक खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी,
217, सौंखिया का रास्ता, किशन पोल बाजार,
जयपुर ...अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर
   वाणिज्यिक कर विभाग,
   राजस्थान, जयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   प्रतिकरापवंचन, जयपुर जोन–तृतीय,
   जयपुर ...प्रत्यर्थीगण

8.रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या–28/2017/जयपुर
(अपील संख्या 553/2011/जयपुर

मै. त्रिलोक खण्डेलवाल एण्ड कम्पनी,
217, सौंखिया का रास्ता, किशन पोल बाजार,
जयपुर ...अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त आयुक्त (विधि),
   वाणिज्यिक कर विभाग,
   राजस्थान, जयपुर
2 मै. इण्डियन जिप्सम लिमिटेड, जयपुर
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   प्रतिकरापवंचन, जयपुर जोन–तृतीय,
   जयपुर ...प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अशोक हंसारिया
अभिभाषक ... प्रार्थी व्यवहारी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उपराजकीय अभिभाषक ... अप्रार्थीगण राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.05.2018

21/05/18

लगातार.....2

निर्णय

1. ये रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की सम्माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 553/2008, 205/2010 से 210/2010 एवं 573/2011 तथा अपील संख्या 1023/2010 से 1028/2010 एवं 556/2011 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 09.11.2016 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 36 के तहत मैसर्स इण्डियन जिप्सम लि0 के प्रकरण में जिप्सम बोर्ड/टाईल्स पर कर दर विनिश्चयीकरण हेतु आयुक्त वाणिज्यिक कर राजस्थान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 तदनुरूप अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 56 में अंकित "Gypsum of all forms" के तहत 4 प्रतिशत कर देय है अथवा नहीं, पर विनिश्चीकरण चाहा गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर विधिक निर्णय देते हुए अतिरिक्त आयुक्त (विधि) ने अपने आदेश दिनांक 27.09.2007 के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि जिप्सम बोर्ड/टाईल्स "Gypsum of all forms" मे शुमार न होकर अलग वाणिज्यिक उत्पाद होने से इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता है। विद्वान अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के उक्त आदेश के अनुसरण में वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) वर्ष 2006–07 से 2007–08 तक के आदेश पारित कर मांग सृजित की जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जिनको विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.01.2010 से अस्वीकार करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखा परन्तु आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी ने उपरोक्त अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 25.01.2010 एवं 10.01.2011 में शास्ति अपास्त करने के बिन्दु पर राजस्व ने भी अपीलें प्रस्तुत की। इसके अलावा विद्वान अतिरिक्त आयुक्त (विधि) के आदेश के फलस्वरूप उक्त मांगे सृजित हुई, को भी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया। प्रस्तुत अपीलों का विवरण निम्न प्रकार है :–

रेक्टि. नं	अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर नि. आ. दि	वि. वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज
22/17	205/10	166/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06–07	21,186	–	3,604
23/17	206/10	167/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06–07	52,335	–	7,322
24/17	207/10	168/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06–07	14,006	–	1,540
25/17	208/10	169/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	06–07	62,471	–	5,000
26/17	209/10	170/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	07–08	40,990	–	2,050
27/17	210/10	171/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	15.10.07	07–08	44,462	–	890
28/17	553/08	47/अपी.II/आरवएटी/जयपुर/एच	10.03.10	07–08	23,127	–	6,940
29/17	573/11	अति. आयु. का आदेश 27.09.2007	27.9.07				

लगातार.....3

3. व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स की बिक्री 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल राजकोष में जमा करवाया गया है। किन्तु निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त (विधि) द्वारा जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स को अधिनियम के शिड्यूल v के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना विनिश्चित करने पर जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स की बिक्री पर 8.5 की दर से अंतर कर आरोपित किया है तथा आरोपित अंतर के अदत्त रहने के कारण ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है। कर निर्धारण आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया एवं जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित करते हुए 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा एवं विभाग द्वारा उपरोक्त तालिका में वर्णित राशियों को विवादित करते हुए उपरोक्त अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई। राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ ने संयुक्त आदेश दिनांक 09.11.2016 द्वारा व्यवहारी की कर व ब्याज के बिन्दु पर तथा राजस्व की शास्ति के बिन्दू पर अपीलें अस्वीकार की गई। व्यवहारी प्रार्थी द्वारा उपरोक्त रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं. 9/2013 से 15/2013 मै. लोहिया एजेन्सीज, जयपुर बनाम राजस्थान कर बोर्ड में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 के आधार पर प्रस्तुत किये है।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि अधिनियम 2003 की धारा 33 के स्पष्टीकरण के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यदि कोई आदेश परिवर्तित कर दिया जाता है तो वह भी रिकार्ड पर प्रथम दृष्टया त्रुटि है जो रेक्टिफाई की जा सकती है। प्रकरणों में जिप्सम बोर्ड पर कर देयता का बिन्दू है जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं. 9/2013 से 15/2013 मै. लोहिया एजेन्सीज, जयपुर बनाम राजस्थान कर बोर्ड में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 में निर्णित किया जा चुका है तथा इसे जिप्सम का ही एक रूप मानते हुए इस पर 4 प्रतिशत की कर देयता मानी है। इन्होंने कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय पूर्व निर्णय दिनांक 09.11.2016 में इसी आधार पर संशोधन हेतु निवेदन किया। इन्होंने यह भी निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के विरूद्व कोई अग्रिम विधिक कार्यवाही भी नहीं हुई है। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा

लगातार.....4

सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं. 9/2013 से 15/2013 मै. लोहिया एजेन्सीज, जयपुर बनाम राजस्थान कर बोर्ड में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सेल्स टैक्स रिविजन नं. 92/1988 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर बनाम जवाहर पंतग हाउस में पारित निर्णय दिनांक 16.03.1992 आदि के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरणों में अभी निर्णय अंतिम नहीं माना जा सकता क्योंकि विधिक प्रक्रिया के दौरान निर्णय परिवर्तित भी हो सकता है। इन्होंने नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स की बिक्री 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल राजकोष में जमा करवाया गया है। किन्तु निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त (विधि) द्वारा जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स को अधिनियम के शिड्यूल v के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना विनिश्चित करने पर जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स की बिक्री पर 8.5 की दर से अंतर कर आरोपित किया है तथा आरोपित अंतर के अदत्त रहने के कारण ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई है। कर व ब्याज को अपीलीय अधिकारी व माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने यथावत रखा है। इस प्रकार प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स की बिक्री पर कर दर क्या होगी अर्थात् जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.04.2006 तद्नुरूप अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि सं. 56 में अंकित "Gypsum of all forms" के तहत 4 प्रतिशत कर देय है अथवा जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स को "Gypsum of all forms" की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। जिससे ये अधिनियम के शेड्यूल V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। राजस्थान कर बोर्ड की सम्माननीय खण्डपीठ द्वारा विचाराधीन प्रकरणों में जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स को "Gypsum of all forms" की श्रेणी में नहीं माना व अधिनियम के शेड्यूल V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की है।

9. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं. 9/2013 से 15/2013 मै. लोहिया एजेन्सीज, जयपुर बनाम राजस्थान कर बोर्ड में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :–

"Taking into consideration the aforesaid, in my view, the finding reached by the Tax Board as well as the Additional Commissioner is not proper and in my view, the **"Gypsum Board"** being manufactured and sold would certainly be covered by **entry No. 56 "Gypsum in all its form"** and thus, the petitions are allowed."

लगातार.....5

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिप्सम बोर्ड को **"Gypsum in all its form"**के अन्तर्गत मानते हुए अधिनियम 2003 के शेड्यूल IV की ऐन्ट्री सं. 56 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की है।

10. प्रकरणों में अधिनियम 2003 की धारा 33 का अवलोकन करना भी समीचीन है जो निम्न प्रकार है :–

33. Rectification of a mistake. – (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. – A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

(2) No application for rectification shall be filed under sub–section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

(3) Where an application under sub–section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यदि कोई आदेश परिवर्तित कर दिया जाता है तो वह भी रिकार्ड पर प्रथम दृष्टया त्रुटि है जो रेक्टिफाई की जा सकती है।

11. विचाराधीन प्रकरणों में जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स पर कर देयता का बिन्दू है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं. 9/2013 से 15/2013 मै. लोहिया एजेन्सीज, जयपुर बनाम राजस्थान कर बोर्ड में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 में जिप्सम बोर्ड को **"Gypsum in all its form"**के अन्तर्गत मानते हुए अधिनियम 2003 के शेड्यूल IV की ऐन्ट्री सं. 56 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की है। जिप्सम टाईल्स भी जिप्सम बोर्ड का ही एक रूप है जिससे व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु उपरोक्त न्यायिक निर्णय से आच्छादित है। राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2016 में अवधारित बिन्दु कि जिप्सम बोर्ड/जिप्सम टाईल्स को "Gypsum of all forms" की श्रेणी में नहीं माना जा सकता जिससे ये अधिनियम के शेड्यूल V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है, को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तित कर यह अवधारित कर दिया है कि जिप्सम बोर्ड **"Gypsum in**

लगातार.....6

all its form"के अन्तर्गत अधिनियम 2003 के शेड्यूल IV की ऐन्ट्री सं. 56 के अन्तर्गत आता है। इस निर्णय में जिप्सम बोर्ड पर 4 प्रतिशत की कर देयता बनती है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय 09.11.2016 में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2017 को प्रस्तुत किये है जो समय जो निर्धारित 3 वर्ष की सीमा में है। आदेश पारित करने की समय सीमा भी 4 वर्ष है जिसकी समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2016 द्वारा ली गई धारणा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं. 9/2013 से 15/2013 मै. लोहिया एजेन्सीज, जयपुर बनाम राजस्थान कर बोर्ड में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 द्वारा परिवर्तित कर दी गई है जिसके आधार पर निर्णय दिनांक 09.11.2016 अधिनियम 2003 की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन योग्य है।

13. फलतः प्रार्थी के रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है तथा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2016 को संशोधित किया जाकर कर व ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी की अपील सं. 205/2010 से 210/2010, 573/2011 व 553/2011 स्वीकार की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

21/05/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य